

**बिहारसरकार
स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवामे,

डा० गुप्तेश्वर सिंह,
वरीय चिकित्सा पदाधिकारी,
लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

पटना, दिनांक .

विषय: दिनांक 01.08.2026 से 31.08.2026 तक निजी खर्च पर विदेश (यू०एस०ए०) जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के ज्ञापांक 1986 दिनांक 27.05.2026 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ डा० गुप्तेश्वर सिंह को दिनांक 01.08.2026 से 31.08.2026 तक निजी खर्च पर विदेश (यू०एस०ए०) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- (i) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
- (ii) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
- (iii) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- (iv) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- (v) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- (vi) डा० गुप्तेश्वर सिंह मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को विदेश (यू०एस०ए०) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगे ।
- (vii) एतद् संबंधी अवकाश संचित उपार्जित अवकाश से सामांजित होगा ।
- (viii) विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने पार-पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेगे ।

02 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक .

623(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 14/8/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ल० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 9 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

W. K. M. K. 14/8/26
सरकार के उप सचिव